

कार्यालय उपनिदेशक(माध्यमिक)शिक्षाविभाग,कोटा

—:: कार्यालय-आदेश::—

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम,1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभानुसार आगामी वर्ष की बैठक होने तक के लिये विभाग द्वारा तैयार की गई पूर्णतः अस्थाई रिक्त रिवीजन सूची वर्ष 2018-19 में से वअ विज्ञान के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को अस्थाई आधार पर पदस्थापन हेतु विभागीय आवश्यकता एवं प्राथमिकताओं के आधार पर परामर्श शिविर में दिये गये विकल्प के अनुसार पदोन्नत कर पदस्थापित किया जाता है।

पदस्थापित स्थान पर इन्हे दिनांक 22.09.2018 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर परित्याग माना जायेगा।

संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करे। यदि कार्मिक कार्यग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में रिक्त रिवीजन परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रेषण सहित स्थानीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में रिक्त रिवीजन पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

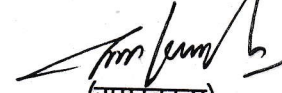
1-राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.03 तथा एफ-7(1) कार्मिक/के-2/45 पार्ट दिनांक 20.11.15 के अनुसार संबंधित कार्मिक से दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्राप्त करे।

2-आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जावे। अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करे।

यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे, एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेंगे। जो कार्मिक बीएलओ नियुक्त है,उन्हे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समाप्ति दिनांक 27.09.18 के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावे।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाया जावे।

संबंधित संस्थाप्रधान इनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।


(रामस्वरूप)

उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा
दिनांक: 16.09.18

क्रमांक:उनिमाशि/को/संस्था-3(20307)2018/419

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1- सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
- 2- विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षामंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर
- 3- निदेशक,माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान-बीकानेर
- 4- आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0जयपुर
- 5- उपनिदेशक,प्रारंभिक शिक्षा, कोटा
- 6- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक)कोटा/बून्दी/बोरा/झालावाड
- 7- संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/संबंधित अध्यापक
- 8- वरिष्ठता अनुभाग,स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली


उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा

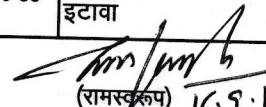
कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा

क्रमांक : 419

दिनांक 16.09.2018

विषय : विज्ञान

क्र.सं.	मण्डल वरि क्रमांक	अवधि	नाम अध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	वअ पद पर पदस्थापन स्थान	जिला
1	787	2007-10	महिमा गुप्ता	राउप्रावि बन्धा, खैराबाद	कोटा	16-07-83	राउमावि दुर्जनपुरा, इटावा	कोटा
2	797	2007-10	मनीषा गुप्ता	प्रतिनियुक्ति कस्तूरबा आवासीय विद्यालय उदयपुर मावली	उदयपुर	21-06-77	यथावत-प्रफॉमा पदोन्नति	
3	818	2007-10	राकेश कुमार यादव	राबा उ.प्रा.वि. बड़ाखेड़ा के. पाटन	बून्दी	03-08-83	राउमावि पापडी, के. पाटन	बून्दी
4	822	2007-10	नरेश यादव	उप्रावि डडवाड़ा के. पाटन	बून्दी	14-06-75	राउमावि बलवन, के. पाटन	बून्दी
5	827	2007-10	स्मिता नागर	राउप्रावि महावीर नगर रामगंजमंडी, खैराबाद	कोटा	25-02-78	रामावि कंवरपुरा, खैराबाद	कोटा
6	832	2007-10	चन्द्रप्रकाश सुमन	राउउप्रावि0 डूंगरपुर खानपुर	झालावाड	02-08-78	रामावि किशनपुरा मसालदारान अटरू	बारां
7	836	2007-10	अशोक कुमार साहू	राबाउमावि नैनवां	बून्दी	03-04-80	राउमावि आमली, बून्दी	बून्दी
8	842	2007-10	हेमकान्त नागर	मावि छजावा (अटरू)	बारां	12-04-81	राउमावि केरवालिया, अटरू	बारां
9	1481	2012-13	धर्मेन्द्र कुमार वर्मा	राउप्रावि रातईकलां, शाहबाद	बारां	10-06-86	राउमावि रामगढ, किशनगंज	बारां
10	1498	2012-13	असमान सिंह टाटा	राउप्रावि सिलोरी, सुनेल	झालावाड	09-06-84	राउमावि माखीदा, के. पाटन	बून्दी
11	1517	2012-13	महेश कुमार देवत	राउप्रावि निपानिया सुनेल	झालावाड	01-02-81	राउमावि दुबलिया, सुनेल	झालावाड
12	1535	2012-13	देवेन्द्र कुमार रेगर	राउप्रावि प्रेमपुरा, झा.पा	झालावाड	01-01-89	राउमावि सलावद, बकानी	झालावाड
13	1548	2012-13	ओम प्रकाश	राउप्रावि गुराडिया ईसर, डग	झालावाड	12-07-85	राउमावि डादून्दा, हिण्डोली	बून्दी
14	1552	2012-13	राकेश कुमार सोकरिया	राउप्रावि ढाबला, डग	झालावाड	10-06-89	राउमावि धूलेट, सांगोद	कोटा
15	1554	2012-13	मानसिंह खारडिया	राउप्रावि.नेश गूजरान म.थाना	झालावाड	15-08-86	राउमावि रजोपा, इटावा	कोटा
16	1579	2012-13	नीरज जोईया	राउप्रावि झिकडिया, भवानीमण्डी	झालावाड	08-07-87	राउमावि पगारिया, भवानीमण्डी	झालावाड
17	1580	2012-13	महेश कुमार वर्मा	राउप्रावि फाजिलपुर डग	झालावाड	02-06-88	रामावि रामपुरियाधाभाई, इटावा	कोटा


(रामस्वरूप) 16.9.18

उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

कार्यालय उपनिदेशक(माध्यमिक)शिक्षाविभाग,कोटा

—:: कार्यालय-आदेश::—

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम,1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार आगामी वर्ष की बैठक होने तक के लिये विभाग द्वारा तैयार की गई पूर्णतः अस्थाई रिव्यू रिवीजन सूची वर्ष 2018-19 में से वअ अंग्रेजी के संलग्न सूची में अंकित कार्मिको को अस्थाई आधार पर पदस्थापन हेतु विभागीय आवश्यकता एवं प्राथमिकताओं के आधार पर परामर्श शिविर में दिये गये विकल्प के अनुसार पदोन्नत कर पदस्थापित किया जाता हैं

पदस्थापित स्थान पर इन्हे दिनांक 22.09.2018 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर परित्याग माना जायेगा।

संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करे। यदि कार्मिक कार्यग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में रिव्यू रिवीजन परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रेषण सहित स्थानीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में रिव्यू रिवीजन पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

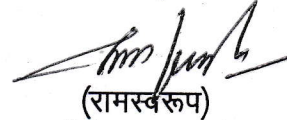
1-राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.03 तथा एफ-7(1) कार्मिक/के-2/45 पार्ट दिनांक 20.11.15 के अनुसार संबंधित कार्मिक से दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्राप्त करे।

2-आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जावे। अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करे।

यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है/निलम्बित हो /न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे, एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेगे। जो कार्मिक बीएलओ नियुक्त है,उन्हे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समाप्ति दिनांक 27.09.18 के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावे।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिको को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित /वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाया जावे।

संबंधित संस्थाप्रधान इनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।


(रामस्वरूप)

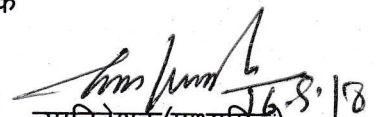
उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा

दिनांक: 16.09.18

क्रमांक:उनिमाशि/को/संस्था-3(20307)2018/415

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1- सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
- 2- विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षामंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर
- 3- निदेशक,माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान-बीकानेर
- 4- आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0जयपुर
- 5- उपनिदेशक ,प्रारंभिक शिक्षा, कोटा
- 6- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक)कोटा/बून्दी/बॉरा/झालावाड
- 7- संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/संबंधित अध्यापक
- 8- वरिष्ठता अनुभाग,स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली


उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा

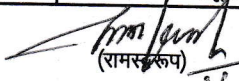
कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा

क्रमांक : 415

दिनांक 16.09.2018

विषय : अंग्रेजी

क्र.सं.	मण्डल वरि क्रमांक	अवधि	नाम अध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	वअ पद पर पदस्थापन स्थान	जिला
1	639	2005-07	अल्का चौरसिया	राउमावि केवलनगर कोटा	कोटा	15-09-75	राउमावि जटवाडा, इटावा	कोटा
2	684	2005-07	लोकेश कुमार कारपेन्टर	राउमावि गुडादेवजी नैनवां	बून्दी	02-07-79	रामावि नीमखेडा, नैनवां	बून्दी
3	690	2005-07	उषा जैन	शारदे बालिका छात्रावास टोडारायसिंह टोंक	टोंक	21-01-80	यथावत्-प्रफोर्मा पदोन्नति	टांक
4	715	2005-07	शहनाज बानो	राउप्रावि मोतीलाल नेहरू झा पाटन	झालावाड	18-12-81	राउमावि गणेशपुरा, तालेडा	बून्दी
5	721	2005-07	आरती शर्मा	उमावि खानपुरिया, झा.पा.	झालावाड	26-11-83	राबाउमावि सुकेत, खैराबाद	कोटा
6	767	2005-07	ज्योति धामाई	राउमावि बाजड, तालेडा	बून्दी	01-08-76	राउमावि नोताडाधरावन, के. पाटन	बून्दी
7	781	2005-07	मीनाक्षी जायसवाल	राउमावि सूलिया भवानीमण्डी	झालावाड	23-02-78	राउमावि सलोतिया, सुनेल	झालावाड
8	821 A	2005-07	शबनम	राउप्रावि कलोनिया शाहाबाद	बारां	24-11-82	राउमावि अयानी, इटावा	कोटा
9	1021	2005-07	मो0 सलीम	राबाउमावि छावनी कोटा	कोटा	24-09-79	राउमावि गरडदा, बून्दी	बून्दी


(रामसरूप)
16.8.18
उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

कार्यालय उपनिदेशक(माध्यमिक)शिक्षाविभाग,कोटा

—:: कार्यालय-आदेश::—

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम,1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभानुसार आगामी वर्ष की बैठक होने तक के लिये विभाग द्वारा तैयार की गई पूर्णतः अस्थाई रिक्त रिवीजन सूची वर्ष 2018-19 में से वअ गणित के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को अस्थाई आधार पर पदस्थापन हेतु विभागीय आवश्यकता एवं प्राथमिकताओं के आधार पर परामर्श शिविर में दिये गये विकल्प के अनुसार पदोन्नत कर पदस्थापित किया जाता है।

पदस्थापित स्थान पर इन्हे दिनांक 22.09.2018 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर परित्याग माना जायेगा।

संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करे। यदि कार्मिक कार्यग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में रिक्त रिवीजन परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रेषण सहित स्थानीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में रिक्त रिवीजन पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

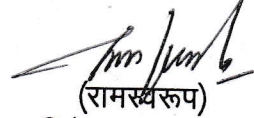
1-राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.03 तथा एफ-7(1) कार्मिक/के-2/45 पार्ट दिनांक 20.11.15 के अनुसार संबंधित कार्मिक से दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्राप्त करे।

2-आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जावे। अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करे।

यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे, एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेंगे। जो कार्मिक बीएलओ नियुक्त है,उन्हे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समाप्ति दिनांक 27.09.18 के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावे।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाया जावे।

संबंधित संस्थाप्रधान इनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिश कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।


(रामस्वरूप)

उपनिदेशक(माध्यमिक)

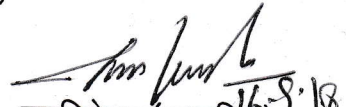
शिक्षाविभाग,कोटा

दिनांक: 16.09.18

क्रमांक:उनिमाशि/को/संस्था-3(20307)2018/414

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1- सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
- 2- विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षामंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर
- 3- निदेशक,माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान-बीकानेर
- 4- आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0जयपुर
- 5- उपनिदेशक ,प्रारंभिक शिक्षा, कोटा
- 6- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक)कोटा/बून्दी/बॉरा/झालावाड
- 7- संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/संबंधित अध्यापक
- 8- वरिष्ठता अनुभाग,स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली


उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा

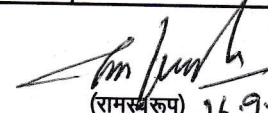
कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा

क्रमांक : 414

दिनांक 16.09.2018

विषय : गणित

क्र.सं.	मण्डल वरि क्रमांक	अवधि	नाम अध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	वअ पद पर पदस्थापन स्थान	जिला
1	604	2012-13	जितेन्द्र कुमार साहु	राउप्रावि श्रीनाथपुरम कोटा	कोटा	02-07-76	राउमावि रनोदिया, इटावा	कोटा
2	611	2012-13	नीलम शर्मा	उप्रावि मनोहरपुरा खैराबाद	कोटा	06-11-79	राउमावि कुम्भकोट, खैराबाद	कोटा


(रामसिंहरूप) 16.9.18

उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, कोटा

कार्यालय उपनिदेशक(माध्यमिक)शिक्षाविभाग,कोटा

—:: कार्यालय-आदेश::—

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम,1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभानुसार आगामी वर्ष की बैठक होने तक के लिये विभाग द्वारा तैयार की गई पूर्णतः अस्थाई रिक्त रिवीजन सूची वर्ष 2018-19 में से वअ सामाजिक के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को अस्थाई आधार पर पदस्थापन हेतु विभागीय आवश्यकता एवं प्राथमिकताओं के आधार पर परामर्श शिविर में दिये गये विकल्प के अनुसार पदोन्नत कर पदस्थापित किया जाता है।

पदस्थापित स्थान पर इन्हें दिनांक 22.09.2018 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर परित्याग माना जायेगा।

संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करे। यदि कार्मिक कार्यग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में रिक्त रिवीजन परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रेषण सहित स्थानीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में रिक्त रिवीजन पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

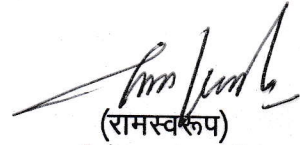
1-राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.03 तथा एफ-7(1) कार्मिक/के-2/45 पार्ट दिनांक 20.11.15 के अनुसार संबंधित कार्मिक से दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्राप्त करे।

2-आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जावे। अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करे।

यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे, एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेंगे। जो कार्मिक बीएलओ नियुक्त है,उन्हे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समाप्ति दिनांक 27.09.18 के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावे।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाया जावे।

संबंधित संस्थाप्रधान इनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

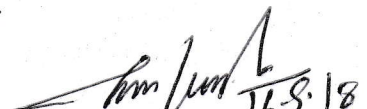

(रामस्वरूप)

उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा
दिनांक: 16.09.18

क्रमांक:उनिमाशि/को/संस्था-3(20307)2018/ 418

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1- सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
- 2- विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षामंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर
- 3- निदेशक,माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान-बीकानेर
- 4- आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0जयपुर
- 5- उपनिदेशक,प्रारंभिक शिक्षा, कोटा
- 6- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक)कोटा/बून्दी/बॉरा/झालावाड
- 7- संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/संबंधित अध्यापक
- 8- वरिष्ठता अनुभाग,स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली


16.9.18
उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा

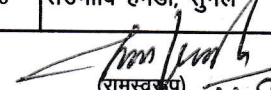
कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा

क्रमांक : 418

दिनांक 16.09.2018

विषय : सामाजिक विज्ञान

क्र.सं.	मण्डल वरि क्रमांक	अवधि	नाम अध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	वअ पद पर पदस्थापन स्थान	जिला
1	1583	88-98	चन्द्र प्रकाश शर्मा	राउप्रावि बोरदा, हिण्डोली	बून्दी	20-07-64	राउप्रावि बोरदा, हिण्डोली	बून्दी
2	1594	88-98	नियामत उल्लाह खां	राउमावि देलून्दा, तालेडा	बून्दी	01-06-63	राबामावि डाबी, तालेडा	बून्दी
3	1611	88-98	ललित कुमार शर्मा	राउमावि कनवाडी, सुनेल	झालावाड	02-07-63	राउमावि अकलेरा	झालावाड
4	1617	88-98	सुरेश चन्द्र शर्मा	राउप्रावि गडाशी, झा.पाटन	झालावाड	01-05-62	राबाउमावि अकलेरा	झालावाड
5	1628	88-98	बाबूलाल सेनी	राउप्रावि अस्तोली	बून्दी	10-08-59	राबामावि बडोदिया, हिण्डोली	बून्दी
6	1631	88-98	हरीश शर्मा	राउप्रावि पपराला	बून्दी	16-01-63	रामावि केशवपुरा के.पाटन	बून्दी
7	1632	88-98	रघुराज सिंह	राउउमावि सुमेरगंजमंडी के. पाटन	बून्दी	20-03-63	रामावि अणघोरा, के.पाटन	बून्दी
8	1633	88-98	शिवकुमार रत्नाकर	राउउमावि आमली बून्दी	बून्दी	01-08-63	राउमावि झालीजीकाबराना, के. पाटन	बून्दी
9	1641	88-98	महावीर प्रसाद सेन	राउमावि सीतापुरा तालेडा	बून्दी	15-02-60	रामावि धानुगांव, नैनवां	बून्दी
10	1649	88-98	राकेश उपाध्याय	राउमावि गणेशपुरा गरनावद भवानीमण्डी	झालावाड	19-11-66	राउमावि हेमडा, सुनेल	झालावाड


 (रामस्वरूप)
 16.8.18
 उपनिदेशक (माध्यमिक)
 शिक्षा विभाग, कोटा

कार्यालय उपनिदेशक(माध्यमिक)शिक्षाविभाग,कोटा

—:: कार्यालय-आदेश::—

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम,1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार आगामी वर्ष की बैठक होने तक के लिये विभाग द्वारा तैयार की गई पूर्णतः अस्थाई रिव्यू रिवीजन सूची वर्ष 2018-19 में से वअ संस्कृत के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को अस्थाई आधार पर पदस्थापन हेतु विभागीय आवश्यकता एवं प्राथमिकताओं के आधार पर परामर्श शिविर में दिये गये विकल्प के अनुसार पदोन्नत कर पदस्थापित किया जाता है।

पदस्थापित स्थान पर इन्हें दिनांक 22.09.2018 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर परित्याग माना जायेगा।

संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करे। यदि कार्मिक कार्यग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में रिव्यू रिवीजन परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रेषण सहित स्थानीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में रिव्यू रिवीजन पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

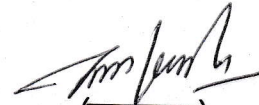
1-राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.03 तथा एफ-7(1) कार्मिक/के-2/45 पार्ट दिनांक 20.11.15 के अनुसार संबंधित कार्मिक से दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्राप्त करे।

2-आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जावे। अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करे।

यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जॉच चल रही है/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे, एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेंगे। जो कार्मिक बीएलओ नियुक्त है,उन्हे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समाप्ति दिनांक 27.09.18 के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावे।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाया जावे।

संबंधित संस्थाप्रधान इनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।


(रामस्वरूप)

उपनिदेशक(माध्यमिक)

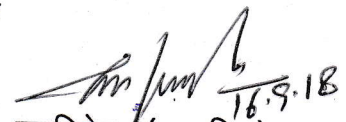
शिक्षाविभाग,कोटा

दिनांक: 16.09.18

क्रमांक:उनिमाशि/को/संस्था-3(20307)2018/ 417

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1- सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
- 2- विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षामंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर
- 3- निदेशक,माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान-बीकानेर
- 4- आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0जयपुर
- 5- उपनिदेशक,प्रारंभिक शिक्षा, कोटा
- 6- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक)कोटा/बून्दी/बोरा/झालावाड
- 7- संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/संबंधित अध्यापक
- 8- वरिष्ठता अनुभाग,स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली


16.9.18

उपनिदेशक(माध्यमिक)

शिक्षाविभाग,कोटा

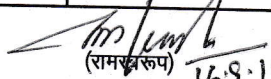
कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,कोटा

क्रमांक : 417

दिनांक 16.09.2018

विषय : संस्कृत

क्र.सं.	मण्डल वरि क्रमांक	अवधि	नाम अध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	वर्तमान पद पर पदस्थापन स्थान	जिला
1	4287	88-98	भवरलाल गोचर	राउप्रावि गुलगांव,नैनवां	बून्दी	02-08-67	राउमावि खजुरी,नैनवां	बून्दी
2	4295	88-98	मोहनलाल गोचर	राउप्रावि धीरपुर,नैनवां	बून्दी	22-10-66	रामावि रेटोदा,नैनवां	बून्दी
3	4296	88-98	शिवप्रकाश शर्मा	रामावि अडीला के.पाटन	बून्दी	17-10-68	राउमावि रोटेदा,के.पाटन	बून्दी
4	4298	88-98	हरजीलाल प्रजापति	राउप्रावि खुनेटिया बून्दी	बून्दी	06-04-66	राउमावि खटकड,बून्दी	बून्दी
5	4307	88-98	रामकिशन गोचर	राबाउमावि इन्द्रगढ	बून्दी	06-11-63	रामावि केशवपुरा,के.पाटन	बून्दी
6	4341	88-98	महावीर प्रसाद शर्मा	राउप्रावि नेणदा तालेडा	बून्दी	21-03-67	रामावि देलून्दा,बून्दी	बून्दी
7	4347	88-98	दुर्गालाल विजय	राबाउप्रावि दुगारी,नैनवां	बून्दी	01-03-62	राउमावि जारेला,अन्ता	बारां
8	4349A	88-98	कमलेश कुमार द्विवेदी	प्रावि सोहनखेडी झा. पाटन	झालावाड	13-02-61	राउमावि तारज,खानपुर	झालावाड
9	4406	88-98	प्रेमचन्द नागर	राउमावि मूण्डला झालावाड	झालावाड	05-04-72	राउमावि नानोर,बकानी	झालावाड
10	4363	88-98	अनिल कुमार शर्मा	उमावि बैरागढ, अकलेरा	झालावाड	10-08-74	राबाउमावि असनावर,झा.पा	झालावाड
11	4380	88-98	सुरेश कुमार व्यास	राउमावि पाडलिया डग	झालावाड	26-10-72	राउमावि पाडलिया,डग	झालावाड
12	4420	88-98	बनवारी लाल पाटीदार	उमावि रीझोन बकानी	झालावाड	02-06-71	राउमावि रीझोन,बकानी	झालावाड
13	4446	88-98	सत्यनारायण नागर	राउमावि बमोरी अटरू	बारां	06-07-72	रामावि अचरावा,अटरू	बारां


(रामप्रसाद) 16.9.18

उपनिदेशक(माध्यमिक)

शिक्षा विभाग,कोटा

कार्यालय उपनिदेशक(माध्यमिक)शिक्षाविभाग,कोटा

—:: कार्यालय-आदेश::—

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम,1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभानुसार आगामी वर्ष की बैठक होने तक के लिये विभाग द्वारा तैयार की गई पूर्णतः अस्थाई रिव्यू रिवीजन सूची वर्ष 2018-19 में से वअ हिन्दी के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को अस्थाई आधार पर पदस्थापन हेतु विभागीय आवश्यकता एवं प्राथमिकताओं के आधार पर परामर्श शिविर में दिये गये विकल्प के अनुसार पदोन्नत कर पदस्थापित किया जाता है।

पदस्थापित स्थान पर इन्हे दिनांक 22.09.2018 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर परित्याग माना जायेगा।

संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करे। यदि कार्मिक कार्यग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में रिव्यू रिवीजन परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रेषण सहित स्थानीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में रिव्यू रिवीजन पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

1-राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.03 तथा एफ-7(1) कार्मिक/के-2/45 पार्ट दिनांक 20.11.15 के अनुसार संबंधित कार्मिक से दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्राप्त करे।

2-आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जावे। अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करे।

यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे, एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेंगे। जो कार्मिक बीएलओ नियुक्त है,उन्हे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समाप्ति दिनांक 27.09.18 के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावे।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित/वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाया जावे।

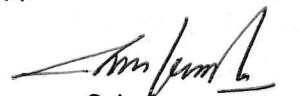
संबंधित संस्थाप्रधान इनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।


(रामस्वरूप)

उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा
दिनांक: 16.09.18

क्रमांक:उनिमाशि/को/संस्था-3(20307)2018/416
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1- सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
- 2- विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षामंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर
- 3- निदेशक,माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान-बीकानेर
- 4- आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0जयपुर
- 5- उपनिदेशक,प्रारंभिक शिक्षा, कोटा
- 6- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक)कोटा/बून्दी/बोरा/झालावाड
- 7- संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/संबंधित अध्यापक
- 8- वरिष्ठता अनुभाग,स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली


उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा

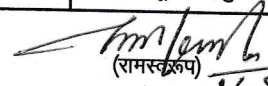
कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा

क्रमांक : 416

दिनांक 16.09.2018

विषय : हिन्दी

क्र.सं.	मण्डल वरि क्रमांक	अवधि	नाम अध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	वअ पद पर पदस्थापन स्थान	जिला
1	3854	88-98	वीरेन्द्रसिंह	राउप्रावि आजमपुर सुनेल	झालावाड	09-09-63	राउमावि कालीतलाई, सुनेल	झालावाड
2	3871	88-98	रमेश चन्द शर्मा	राप्रावि भगवानपुरा भ.मण्डी	झालावाड	08-07-63	राउमावि दुबलिया, सुनेल	झालावाड
3	3877	88-98	इन्द्र प्रकाश शर्मा	राप्रावि गउपुरा, झा.पा.	झालावाड	01-07-63	राउमावि बडबड, बकानी	झालावाड
4	3884	88-98	शिव प्रसाद सुमन	राउप्रावि रघुवीरपुरा खानपुर	झालावाड	01-10-67	राउमावि अकावदखुर्द, खानपुर	झालावाड
5	3898	88-98	रामगोपाल	राप्रावि हरिजन मोहल्ला झा. पाटन	झालावाड	10-07-65	राउमावि शेरपुर, सुनेल	झालावाड
6	3903	88-98	कृष्ण गोपाल पाटीदार	राउप्रावि उत्कृष्ट दातिया बकानी	झालावाड	22-09-65	राउमावि खारपाकलां, सुनेल	झालावाड
7	3906	88-98	महावीर प्रसाद राठौर	राप्रावि बासोदिया अकलेश	झालावाड	04-07-68	राउमावि बांसखेडीलोढान, अकलेश	झालावाड
8	3908	88-98	गोपाल लाल शर्मा	राप्रावि गढ़ा का खेड़ा डग	झालावाड	10-10-67	राउमावि धतूरिया, डग	झालावाड
9	3915	88-98	शंकरलाल गौतम	राप्रावि बाडियागुजरान, खानपुर	झालावाड	07-07-65	राउमावि करणवास, खानपुर	झालावाड
10	3919	88-98	अशोक कुमार जैन	राउप्रावि सेदरा डग	झालावाड	05-07-66	राउमावि बर्डियाबीरजी, डग	झालावाड
11	3921	88-98	भंवर लाल मालव	राउप्रावि नयागांव गुजरान, खानपुर	झालावाड	28-07-66	राउमावि सहरोद, अटरू	बारां
12	3934	88-98	उमेश जोशी	राबामावि बून्दी सिटी	बून्दी	28-11-74	राउमावि जावटीकलां, बून्दी	बून्दी
13	3941	88-98	ओमप्रकाश शर्मा	राउप्रावि जावरा, बून्दी	बून्दी	10-12-64	राउमावि ककरावदा, इटावा	कोटा
14	3948	88-98	गजानन्द गुर्जर	राप्रावि भंवरिया कुआ बून्दी	बून्दी	13-10-67	राउमावि कालपुरिया, बून्दी	बून्दी
15	3965	88-98	गिरीश कुमार पालीवाल	राउप्रावि पीली की खान, तालेडा	बून्दी	16-02-68	रामावि दुगारी अन्ता	बारां
16	4001	88-98	रामचन्द्र सैनी	राउप्रावि सांकडदा, बून्दी	बून्दी	10-08-67	राउमावि जैतपुर, नैनवां	बून्दी
17	4003	88-98	प्रेमशंकर शर्मा	राउप्रावि सियाणा हिण्डोली	बून्दी	01-08-61	राउमावि खरायता, के.पाटन	बून्दी
18	5263	88-98	हीरालाल वर्मा	राउमावि पीपल्या भवानीमंडी	झालावाड	20-07-69	राबामावि बूढादीत, सुल्तानपुर	कोटा


 (रामसिंह)
 16.9.18
 उपनिदेशक(माध्यमिक)
 शिक्षा विभाग, कोटा